भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारां कत प्रश्न संख्या 2765

(मंगलवार, **17** मार्च, 2026 /**26** फाल्गुन, 1947 (शक) को उत्तर के लए)

सीएसआर निगरानी ढांचा

2765 श्री रायगा कृष्णैयाः

श्री राजीब भ ाचार्जी:

श्रीमती करण चौधरीः

श्री एस. सेल्वागनबेथीः

श्री नारायण कोरागप्पाः

डा. मेधा वश्राम कुलकर्णीः

श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाणः

डा. परमार जशवंत संह सालम संहः

श्री उज्जवल देवराव निकमः

श्री नरहरी अमीनः

श्री हर्ष महाजनः

श्री लहर संह सरोयाः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निगरानी ढांचे और मंत्रालय के पोर्टल पर सीएसआर-**2** फाइ लंग मॉड्यूल के माध्यम से कंपनियों हेतु लागू की गई रिपोर्टिंग अनिवार्यताओं का ब्यौरा क्या है**;**

(ख) पछले तीन वर्षों के दौरान सीएसआर व्यय और अप्रयुक्त रा श की जानकारी देने वाली कंपनियों की वर्ष-वार संख्या कतनी है**;**

(ग) अप्रयुक्त सीएसआर रा शयों को वहित खातों या नि धयों में अंतरित करने की निगरानी हेतु कौन-कौन से तंत्र मौजूद हैं**;** और

(घ) क्या सीएसआर अनुपालन और पारद र्शता के संबंध में कोई समीक्षा या प्रभाव आकलन कया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य निष्कर्ष क्या हैं**?**

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): कंपनी अ धनियम, 2013 (**'**अ धनियम**'**) की धारा 135, अ धनियम की अनुसूची **VII** और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के तहत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लए कानूनी ढांचा का प्रावधान कया गया है।

मंत्रालय ने 11 फरवरी, 2022 की अ धसूचना के माध्यम से वेब आधारित प्ररूप सीएसआर-2 आरम्भ कया है, जिसे प्रत्येक सीएसआर पात्र कंपनी को वत्तीय वर्ष 2020-21 और उसके बाद से फाइल करना अपे क्षत है। उक्त प्ररूप में, कंपनियों को सीएसआर स मति के गठन, सीएसआर नीति, सीएसआर परियोजनाओं, संबं धत वत्तीय वर्ष के लए कार्यकलापों/परियोजनाओं पर व्यय की गई रा श, अप्रयुक्त सीएसआर आदि की जानकारी देनी अपे क्षत है।

(ख): वा षक फाइ लंग के आधार पर, वगत तीन वत्तीय वर्षों यानी 2021-22 से 2023-24 तक के लए कंपनियों की कुल संख्या और उनके सीएसआर व्यय का ववरण अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है। अप्रयुक्त सीएसआर नि धयों से संबं धत डाटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ग): अ धनियम की धारा 135 (5) और (6) में अव्ययित सीएसआर रा श के निपटान का प्रावधान है। कसी चालू परियोजना के मामले में, कंपनी को वत्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर अप्रयुक्त रा श को कंपनी के एक वशेष खाते, अर्थात् 'अव्ययित सीएसआर खाता' में अंतरित करना होता है और अंतरण की ति थ से अगले तीन वत्तीय वर्षों के भीतर अपनी सीएसआर नीति के अनुसार उसे खर्च करना होता है। तीन वत्तीय वर्षों की समाप्ति के बाद, यदि कोई रा श अव्ययित रह जाती है, तो उसे तीसरे वत्तीय वर्ष की समाप्ति की ति थ से तीस दिनों के भीतर अ धनियम की अनुसूची **VII** में उल्लि खत कसी भी नि ध में अंतरित करना आवश्यक है। चालू परियोजना के अतिरिक्त अन्य मामलों में, कंपनी को वत्तीय वर्ष की समाप्ति से छह महीने की अव ध के भीतर अव्ययित सीएसआर रा श को अ धनियम की अनुसूची **VII** में उल्लि खत कसी भी नि ध में अंतरित करना आवश्यक है। मंत्रालय ने वत्तीय वर्ष 2021-22 से लागू कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("सीएआरओ, 2020") अ धसू चत कया है, जिसके अनुसार लेखा परीक्षकों को कसी भी अव्ययित सीएसआर रा श का ववरण देना अनिवार्य है। अव्ययित सीएसआर नि धयों से संबं धत डाटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(घ): कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, **2014** के नियम **8** में सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन से संबं धत प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक वह कंपनी जिसका, अ धनियम की धारा **135** की उपधारा **(5)** के अंतर्गत पछले तीन वत्तीय वर्षों में औसत सीएसआर दायित्व, **10** करोड़ रुपये या उससे अ धक रहा हो, उसे एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से उन सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन कराना आवश्यक है, जिन पर एक करोड़ रुपये या उससे अ धक का व्यय हुआ हो और जो प्रभाव अध्ययन प्रारंभ करने से कम से कम एक वर्ष पूर्व पूर्ण हो चुकी हों। सीएसआर गति व धयों, प्रभाव मूल्यांकन आदि का ववरण सभी कंपनियों द्वारा 'सीएसआर पर वा षक रिपोर्ट' में प्रस्तुत कया जाना आवश्यक है, जिसमें सीएसआर के लए वा षक कार्ययोजना भी शा मल होती है, जो कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट का एक भाग होती है।

उपर्युक्त व धक प्रावधानों के आलोक में, सरकार ने ऐसी कोई व शष्ट समीक्षा या प्रभाव मूल्यांकन नहीं कया है।

अनुलग्नक-I

दिनांक 17.03.2026 के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या **2765** के भाग (क**)** से संदर्भित वित्त वर्ष **2021–22** से **2023–24** तक कंपनियों की कुल संख्या तथा उनका सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24	
कंपनियों की संख्या	सीएसआर व्यय	कंपनियों की संख्या	सीएसआर व्यय	कंपनियों की संख्या	सीएसआर व्यय
20,234	27,141.45	26,377	30,932.07	27,188	34,908.75

(31.03.2025 तक का डाटा) (स्रोत: कॉरपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)
